

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर**  
**:: संशोधित आदेश ::**

क्रमांक 05 / एक-2-1 / 82

सीहोर, दिनांक. 08/02/24

मैं, सतीश चंद शर्मा, सत्र न्यायाधीश, सीहोर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194, 381 (2) एवं 400 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल कार्य विभाजन आदेश क्रं. 01 सीहोर दिनांक 08.01.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:-


मूल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 01, सीहोर दिनांक 08.01.2024 के पृष्ठ क्रं. 15 पर अंकित टिप्पणी क्रमांक 13 को विलोपित किया जाता है।

*Sd/-*  
सत्र न्यायाधीश  
सीहोर, जिला-सीहोर

पृष्ठांकन क्रमांक 410 / एक-2-1 / 82,  
प्रतिलिपि:-

सीहोर, दिनांक 08/02/24

- 1: प्रथम / द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा
- 2: श्रीमती वंदना त्रिपाठी, श्री एम.एन.एच.रजवी, सुश्री आयुषी गुप्ता, श्रीमती ऋचा सिंह राजावत्, श्रीमती ऋचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, आष्टा
- 3: अध्यक्ष अभिभाषक संघ, आष्टा  
की ओर उक्त संशोधित आदेश सूचनार्थ प्रेषित।
- 4: जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुविभाग सीहोर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित

  
सत्र न्यायाधीश  
सीहोर, जिला-सीहोर